

पत्रांक-श्रम क०सं०-116/2024(अंश)-9412

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, भागलपुर के ज्ञापांक (कॉलम 6 में वर्णित) से छात्रवृत्ति हेतु आई0टी0आई0 में अध्ययनरत 01 छात्र को रू0 5,000/- (पाँच हजार रुपए) आर्थात् कुल राशि 5,000/- (पाँच हजार रुपए मात्र) का भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में दावेदार के पुत्र को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०-466, दिनांक-08.04.2025 के क्रम संख्या-11 में वर्णित खाता संख्या में राशि अंतरित किया गया था, परन्तु उपरोक्त लाभुक का खाता विवरणी त्रुटिपूर्ण रहने के कारण राशि का अंतरण नहीं हो सका।

अतः पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक सं०-466, दिनांक-08.04.2025 के क्रम संख्या-11 को रद्द किया जाता है।

श्रम अधीक्षक, भागलपुर के पत्रांक-517, दिनांक-08.04.2026 तथा लेखापाल के प्रतिवेदन के आलोक में छात्र/छात्रा को स्वीकृत राशि की विमुक्ति हेतु आदेश दिया जाता है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि, कार्य की प्रकृति	पुत्र/पुत्री का नाम	अध्ययनरत छात्र/छात्रा का संस्थान /सत्र/ कक्षा	माता एवं पिता का आधार संख्या	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता एवं मोबाईल नंबर	पुत्र/पुत्री का बैंक एवं शाखा का नाम/खाता संख्या/आई.एफ.एस.सी	छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृत अनुदान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दिलीप कुमार साह, 49, अयोध्या प्रसाद साह, पि0वर्ग, राजमिस्त्री का हेल्पर	कृष्णा कुमार	सरकारी आई.टी आई. लीला दीप नारायण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरारी, भागलपुर 2023-2025 (द्वितीय वर्ष)	माता-9237 90066278 पिता-9488 61531591	517 08.04.2026 एवं 227 01.02.2025	ग्राम-मुन्दीचक भोलानाथपुर, पो0-भागलपुर, थाना-इशाचक, प्र0-जगदीशपुर, जिला-भागलपुर 6201533230	UBI 520101264 298888 UBIN09168 62	रू० 5,000/- (पाँच हजार पाँच सौ रुपए)

कुल:-रू० 5,000/-

(पाँच हजार रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक सं०-466, दिनांक-08.04.2025 के क्रम संख्या-11 को रद्द करते हुए नया विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

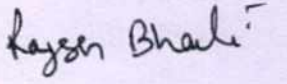
ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-116/2024(अंश)-9412 पटना, दिनांक :- 23/07/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रू 5,000/-

(पाँच हजार रुपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, भागलपुर/उप श्रमायुक्त, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


20/07/2026

(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी



(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक